DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

10 August, 2024

अंटार्कटिका पर शीतकाल में गर्म लहर

संदर्भ: *हाल ही में दो वर्षों में दूसरी बार अंटार्कटिका अपने चरम शीत ऋतु के दौरान भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है।*

वर्तमान स्थिति

- **रिकॉर्ड तोड़ गर्मी:** अंटार्कटिका अपने चरम शीत ऋतु के दौरान रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनुभव कर रहा है।
- **तापमान में वृद्धि:** जुलाई के मध्य से जमीन का तापमान औसत से 10°C अधिक रहा है, जिसमें कुछ दिनों में 28°C तक की वृद्धि देखी गई है।
- **पूर्वी अंटार्कटिका का तापमान:** पूर्वी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में, तापमान वर्तमान में -25°C और -30°C के बीच है, जबकि अत्यधिक सर्दियों में तापमान आमतौर पर -50°C से -60°C तक होता है।

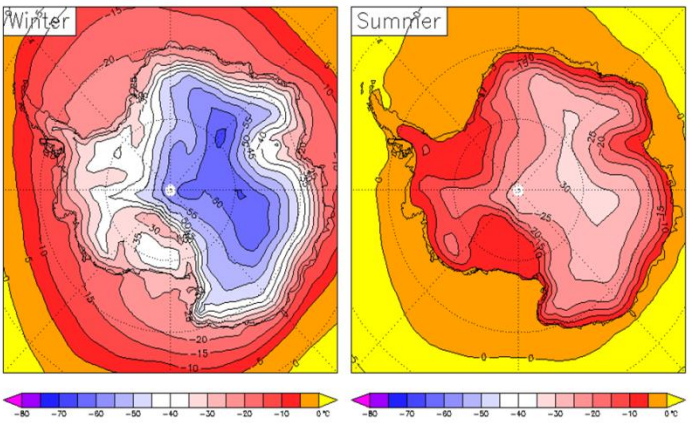

हीटवेव के कारण

- **ध्रुवीय भंवर का कमजोर होना:** ध्रुवीय भंवर, ठंडी हवा और कम दबाव प्रणालियों का एक बैंड जो आमतौर पर अंटार्कटिका पर ठंडी हवा को रोके रखता है, कमजोर हो गया है। यह व्यवधान बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय तरंगों के कारण है।
- **गर्म हवा का प्रवेश :** कमजोर भंवर ने गर्म हवा को क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे ऊपरी वायुमंडल से नीचे उतरने वाली इस गर्म हवा के कारण तापमान बढ़ गया।
- **भंवर कमजोर होने की आवृत्ति:** दक्षिणी गोलार्ध में भंवर का कमजोर होना दुर्लभ है, ऐसा लगभग हर दो दशक में एक बार होने की उम्मीद है।

योगदान देने वाले कारक

- **अंटार्कटिक समुद्री बर्फ में कमी:** अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा जून 2023 के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर के बाद जून में दूसरी सबसे कम थी। समुद्री बर्फ में कमी से परावर्तक सतह कम हो जाती है जो तापमान को कम रखती है और ठंडी हवा और गर्म पानी के बीच की बाधा को हटा देती है।
- **वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव:** अंटार्कटिका प्रति दशक 0.22°C से 0.32°C की दर से गर्म हो रहा है, जो प्रति दशक 0.14°C से 0.18°C की वैश्विक औसत दर से लगभग दोगुना है।

संभावित परिणाम

- **अंटार्कटिक बर्फ की चादर की क्षति :** निरंतर गर्मी से अंटार्कटिक बर्फ की चादर का नुकसान बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक समुद्र का स्तर सैकड़ों फीट बढ़ सकता है। 1980 और 1990 के दशक की तुलना में 2000 और 2010 के दशक में महाद्वीप ने पहले ही 280% अधिक बर्फ खो दी है।
- **ऐतिहासिक हीटवेव प्रभाव:** मार्च 2022 में, एक हीटवेव के कारण पूर्वी अंटार्कटिका में तापमान सामान्य से 39 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप रोम के आकार की बर्फ की चादर का एक हिस्सा ढह गया।
- **समुद्र के स्तर पर प्रभाव:** अंटार्कटिक बर्फ की चादर, जिसमें दुनिया के 60% से अधिक ताजे पानी का भंडार है, अगर पूरी तरह पिघल जाए तो तटीय शहरों को जलमग्न कर सकती है। समुद्र के स्तर में कुछ फीट की वृद्धि से उच्च ज्वार रेखा के पास रहने वाले लगभग 230 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।
- **वैश्विक महासागर परिसंचरण में व्यवधान:** अंटार्कटिका में पिघलती बर्फ वैश्विक महासागर परिसंचरण को धीमा कर रही है, जो गर्मी, कार्बन, पोषक तत्वों और मीठे पानी के परिवहन द्वारा जलवायु को नियंत्रित करता है। पिघलती बर्फ से लवणता और घनत्व में कमी से समुद्र के तल में नीचे की ओर प्रवाह बाधित होता है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

संदर्भ *: कांग्रेस ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटाने के सन्दर्भ में सदन को कथित रूप से गुमराह करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार कार्यवाही का अनुरोध किया है।*

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में -

- **अधिकार और उन्मुक्ति:** सांसदों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अधिकार और उन्मुक्ति प्राप्त है। किसी सदस्य द्वारा इन अधिकारों की अवहेलना को विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है और यह संसदीय कानूनों के तहत दंडनीय है।
- **संवैधानिक विशेषाधिकार:** संविधान का अनुच्छेद 105 दो मुख्य विशेषाधिकार प्रदान करता है: संसद में भाषण की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार।
- **अतिरिक्त विशेषाधिकार:**यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा संसदीय सत्रों के दौरान और उसके आसपास सिविल प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी से स्वतंत्रता सहित अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है।

संसदीय विशेषाधिकार

- **परिभाषा** : संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य संसद और उसके सदस्यों को उनके कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए दिए गए विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों से है।
- **उद्देश्य** : इसका लक्ष्य संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा की रक्षा करना है।
- **व्यक्तिगत उपयोग:** सदस्यों को विशेषाधिकार केवल संसद के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं।
- **कानूनी स्थिति:** सांसदों की कानूनी स्थिति आम नागरिकों से तब तक अलग नहीं होती, जब तक कि संसद के संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।
- **प्रमुख विशेषाधिकार:**
  - **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** सांसद बिना किसी कानूनी परिणाम के संसद में स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं।
  - **न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति:** सांसदों को संसद या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या मतदान के लिए मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण प्राप्त है।
  - **प्रकाशन उन्मुक्ति:** संसदीय रिपोर्ट और कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त।
  - **सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति:** सांसदों को सत्र के दौरान और सत्र से पहले और बाद में चालीस दिनों तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी से उन्मुक्ति में निवारक गिरफ्तारी या आपराधिक मामले शामिल नहीं हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

प्रयोज्यता

- **कौन इसके अंतर्गत कौन आता है:** संसदीय विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं जो संसदीय कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं, जिनमें भारत के महान्यायवादी भी शामिल हैं।
- **अपवर्जन** : यद्यपि राष्ट्रपति संसद का अंग है, फिर भी वह संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन पृथक विशेषाधिकारों के लिए अनुच्छेद 361 के अंतर्गत आता है।

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की भूमिका

- **प्रारंभिक जांच:** लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रारंभिक समीक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- **निर्णय लेना:** वे या तो प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।
- **सदस्य स्पष्टीकरण:** नियम 222 के अंतर्गत सहमति से संबंधित सदस्य अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

विशेषाधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम

- **नियम संदर्भ:**यह विशेषाधिकार लोक सभा नियम पुस्तिका में नियम 222 और राज्य सभा नियम पुस्तिका में नियम 187 द्वारा शासित होता है।
- **प्रक्रिया** : सदस्य अध्यक्ष या सभापति की सहमति से विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न उठा सकते हैं, जो सदस्य, सदन या समिति से संबंधित विशेषाधिकार के उल्लंघन को संबोधित करता है।

विशेषाधिकार समिति

- **संरचना** : लोकसभा समिति में प्रत्येक दल से 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं।
- **बहस और रिपोर्टिंग:** अध्यक्ष अंतिम आदेश देने या रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिति की रिपोर्ट पर आधे घंटे की बहस की अनुमति दे सकता है।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना

संदर्भ: *मंत्रिमंडल ने लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "प्रधानमंत्री जी-वन योजना" में संशोधन को मंजूरी दी है।*

योजना में संशोधन

- **विस्तारित समय-सीमा:** प्रधानमंत्री जी-वन योजना की कार्यान्वयन अवधि को पांच वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक कर दिया गया है।
- **कार्यक्षेत्र विस्तार:** इस योजना में अब कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, संश्लेषण गैस और शैवाल जैसे लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स से उन्नत जैव ईंधन शामिल हैं।
- **पात्रता अद्यतन:** "बोल्ट-ऑन" संयंत्र और "ब्राउनफील्ड परियोजनाएं" अब भाग ले सकती हैं तथा व्यवहार्यता में सुधार के लिए अपने अनुभव का लाभ उठा सकती हैं।
- **नवाचार को प्राथमिकता:** इसमें नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के उद्देश्य

- **किसान आय:** कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्रदान करना।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान करना तथा अपशिष्ट बायोमास और शहरी अपशिष्ट का प्रबंधन करके स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन देना।
- **रोजगार** : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मेक इन इंडिया मिशन का समर्थन करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में योगदान देना।
- **जीएचजी उत्सर्जन:** 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य जीएचजी उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना।

पृष्ठभूमि

- **इथेनॉल मिश्रण:** पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत 2013-14 में 1.53% से बढ़कर जुलाई 2024 में 15.83% हो गया, जिसका संचयी प्रतिशत चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2023-24 में 13% से अधिक हो जाएगा।
- **सम्मिश्रण लक्ष्य:** सरकार का लक्ष्य ईएसवाई 2025-26 तक 20% सम्मिश्रण करना है, जिसके लिए 1100 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल और 1750 करोड़ लीटर आसवन क्षमता की आवश्यकता होगी।
- **2जी इथेनॉल पर फोकस:** सरकार अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट से द्वितीय पीढ़ी (2जी) इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है।

पीढ़ी	विशेषताएँ	प्रभाव
पहली	इसमें बियर और वाइन बनाने जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करके खाद्य फसलों (मक्का, मक्का, गन्ना, रेपसीड, पाम, सोयाबीन) से इथेनॉल और बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है।	यह मुख्य फसलों को ईंधन की ओर स्थानतारित करके खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाता है। साथ ही ईंधन तथा खाद्य सुरक्षा के बीच अंतर उत्पन्न करके खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है।
दूसरी	यह गैर-खाद्य फसलों और सेल्युलोज युक्त जैविक कृषि अपशिष्ट, जैसे स्विचग्रास, जेट्रोफा और अरंडी के बीज से उत्पादित होता है।	इसमें अखाद्य सामग्रियों का उपयोग होता है, जिससे खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।
तीसरी	यह शैवाल से व्युत्पन्न है, जिसे हरित हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इस ईंधन में बायोडीजल, इथेनॉल और जेट ईंधन शामिल हैं।	यह विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन उत्पन्न करता है, जिन्हें शैवाल द्वारा उत्पादित किया जा सकता है।
चौथी	यह बायोमास सामग्री, जिसने विकास के दौरान CO_2 को अवशोषित किया है, को ईंधन में परिवर्तित करता है और पूरे उत्पादन के दौरान CO_2 को अवशोषित और संग्रहीत करता है।	यह टिकाऊ ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा उत्सर्जन से अधिक CO_2 ग्रहण करता है एवं जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करके CO_2 उत्सर्जन को कम करता है।

योजना के बारे में

- **वित्तीय सहायता:** लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **वाणिज्यिक व्यवहार्यता:** इसका उद्देश्य वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य 2जी इथेनॉल परियोजनाएं स्थापित करना है।
- **पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ:** बायोमास अवशेषों को जलाने की समस्या का समाधान, इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों का समर्थन, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, और रोजगार सृजन करना है।
- **कार्यान्वयन** :यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा प्रबंधित है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

10 August, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

विश्व जैव ईंधन दिवस

विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को जीवाश्म ईंधन के एक स्थायी विकल्प के रूप में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में:

- विश्व जैव ईंधन दिवस जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने और जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक निर्भरता को कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में जैव ईंधन की भूमिका पर जोर देता है।
- 2024 का विषय "स्थायी जैव ईंधन: हरित भविष्य को बढ़ावा देना" है और इसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला जाएगा।
- जैव ईंधन बायोमास से प्राप्त ईंधन हैं, जिसमें पौधे, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक जैव-अपशिष्ट शामिल हैं।
- जैव ईंधन को तीन पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है: खाद्य फसलों से प्राप्त पहली पीढ़ी, गैर-खाद्य से बायोमास से प्राप्त दूसरी पीढ़ी और शैवाल जैसे उन्नत स्रोतों से प्राप्त तीसरी पीढ़ी।
- भारत ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे E20 लक्ष्य के रूप में जाना जाता है।
- भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने पर आधारित है और देश विश्व स्तर पर गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत में पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 2003 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीपी) शुरू किया गया था।

भारत छोड़ो आंदोलन

9 अगस्त को, भारत के प्रधान मंत्री ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के सहयोगियों को श्रद्धांजलि दी।

भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में:

- भारत छोड़ो आंदोलन भारत में एक विशाल उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त, 1942 को शुरू किया गया था।
- इसका नेतृत्व महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने किया था और इसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी।
- इस आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता था।
- कांग्रेस कार्यसमिति ने 8 अगस्त, 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधीजी ने गोवालिया टैंक मैदान (जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है) में अपना ऐतिहासिक "करो या मरो" भाषण दिया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ उठ खड़े होने का आग्रह किया गया।
- आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण और अहिंसक होना था और "भारत छोड़ो" और "भारत छोड़ो" के नारे इस्तेमाल किए गए।
- सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं ने जेल में रहते हुए भी आंदोलन में एक अपरंपरागत भूमिका निभाई।
- आंदोलन को मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और रियासतों सहित विभिन्न समूहों से विरोध का सामना करना पड़ा था।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

हाल ही में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने एक मृत हाथी मिलने के बाद एक महीने से अधिक समय तक चुप्पी साधे रखी, बाद में शव को जला दिया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में:

- बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है।
- यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच उमरिया और कटनी जिलों में स्थित है।
- इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर वर्ष 1993 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया।
- वर्ष 1951 में, यहाँ भारत का पहला सफेद बाघ इस क्षेत्र में पकड़ा गया था।
- बांधवगढ़ नाम संस्कृत में "भाई का किला" है और यह उस किंवदंती से आया है कि हिंदू भगवान राम ने लंका की रखवाली के लिए अपने भाई लक्ष्मण को किला दिया था।
- वनस्पति: यहाँ उल्लेखनीय पुष्प प्रजातियों में साज, धोरा, तेंदू, अर्जुन, आंवला और पलास शामिल हैं।
- जीव: इस रिजर्व में बंगाल टाइगर, हाथी, तेंदुए और सांभर सहित 35 से अधिक स्तनपायी प्रजातियाँ हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

सुर्खियों में स्थल

पेरू

पेरू की माशको पिरो जनजाति ने हाल ही में अमेज़न में अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के संदेह में लकड़हारों पर धनुष और तीर का इस्तेमाल किया।

पेरू (राजधानी: लीमा)

अवस्थिति: पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है।

राजनीतिक सीमाएँ: पेरू की सीमा कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली और इक्वाडोर से मिलती है।

भौतिक विशेषताएँ:

- पेरू में एंडीज़ पर्वत श्रृंखला का प्रभुत्व है।
- माउंट हुआस्करन देश का सबसे ऊँचा स्थान है।
- कुछ उल्लेखनीय नदियों में अमेज़न, पुरुस, जुरुआ आदि शामिल हैं।
- यहाँ सिएरा (हाइलैंड्स) एंडीज़ का क्षेत्र है, इसमें अल्टीप्लानो पठार के साथ-साथ देश की सबसे ऊँची चोटी भी शामिल है।
- दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और बोलीविया के साथ साझा की जाने वाली झील टिटिकाका, एंडीज़ के बीच में स्थित है।

POINTS TO PONDER

- विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न अनुसूची 'ए' सीपीएसयू एसजेवीएन लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन सी परियोजना शुरू की है? – **90 मेगावाट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना**
- उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक घटना घटी थी, जिसमें जंगली मशरूम इकट्ठा करते समय हाथियों के झुंड ने 45 वर्षीय व्यक्ति को मार डाला था? – **दुधवा टाइगर रिजर्व**
- कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में कपास को ओटने का कार्य करने वालों को क्यूआर कोड प्रमाणन प्रौद्योगिकी के आधार पर क्या उत्पादन करने का अधिकार दिया है? – **कस्तूरी कॉटन भारत**
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत चेक की शीघ्र निकासी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने हाल ही में कौन से उपाय की घोषणा की है? – **चेकों की सतत निपटान व्यवस्था**
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर ने सैनिकों के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष जूतों में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया है? – **ट्राइ-बोइलेक्ट्रिक नैनोजेनरेटर (टीईएनजी) प्रौद्योगिकी**